तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2003 / 4860 / सवाई माधोपुर** **मूर्ति मन्दिर श्री सालिगरामजी बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी
श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2019

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बौंली जिला सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 6–9–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बौंली जिला सवाई माधोपुर के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण विचाराधीन था। दिनांक 9–8–2002 को दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। उक्त प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र बाबत बाजदायरी दिनांक 9–9–2002 को प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बौंली जिला सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 6–9–2003 द्वारा बाजदायरी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 6–9–2003 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 4860 / सवाई माधोपुर</u>** **मूर्ति मन्दिर श्री सालिगरामजी बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– बहस उभयपक्ष सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–7–2002 की तारीख पेशी नियत थी। उक्त निर्णय को पीठासीन अधिकारी दौरे पर थे और मौखिक रूप से दिनांक 23–8–2002 की तारीख बता दी गयी थी किन्तु रीडर साहब ने सहवन से आर्डरशीट पर दिनांक 9–8–2002 अंकित कर दी। निगरानीकार को इसका इल्म नहीं था और दिनांक 9–8–2002 को प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। बाजदायरी का प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि 30 दिन में प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे निरस्त करने में भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये। 5– विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय 6–9–2003 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। सीपीसी के आदेश–43 नियम–1(सी) के अनुसार जिन आदेशों के विरूद्ध अपील की जा सकती हो तो उसमें निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के प्रकरणों में बाजदायरी प्रार्थना पत्र जब खारिज होता है तो उसके विरूद्ध केवल अपील की जा सकती है, निगरानी नहीं। लेकिन यदि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो विपक्षी निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, निगरानी नहीं। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 4860 / सवाई माधोपुर</u>** **मूर्ति मन्दिर श्री सालिगरामजी बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। सुरेशचन्द्र ने व्यक्तिगत हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, न कि मंदिर मूर्ति के प्रतिनिधि की हैसियत से। अतः इस कारण भी निगरानी प्रस्तुत किये जाने योग्य है। बाजदायरी का प्रार्थना पत्र समयावधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है जो कि अनिर्वाय है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। 6– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुये रिबटल में निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वाद सुरेश के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र बाद में पेश कर दिया गया था जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत जहां अपील नही की जा सकती हो, वहां निगरानी पोषणीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाये। 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 9–8–2002 को वादी व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं थे, लेकिन प्रतिवादीगण के अभिभाषक उपस्थित थे। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 4860 / सवाई माधोपुर</u>** **मूर्ति मन्दिर श्री सालिगरामजी बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानीकार का यह कथन कि रीडर ने कोई दूसरी तारीख दे दी थी, स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह सत्य है कि निगरानीकर्ता ने दिनांक 9–9–2002 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अगस्त महिने में 31 दिन होते हैं इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र 31 दिन बाद प्रस्तुत किया गया था, अर्थात एक दिन का विलम्ब हुआ है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था लेकिन बाद में प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्रार्थना पत्र विलंब से प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना पत्र के साथ विलंब को शमित करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर निगरानीकार ने विधि के प्रावधानों की पालना नहीं की है।

9– प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि निगरानी पोषणीय है अथवा नहीं ? अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 (C) के अनुसार ऐसे प्रकरणों की अपील की जानी चाहिए। आदेश 43 नियम 1 (C) सी.पी.सी. के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> "Appeals from Orders - An appeal shall lie from the following orders under the provisions of Section 104, namely:-
>
> (a) an order under Rule 10 of Order VII returning a plaint to be presented to proper court; [except where the procedure specified in Rule 10-A of Order VII has been followed].
>
> (b) [***]
>
> (c) an order under Rule 9 of Order IX rejecting an application (in a case open to appeal) for an order to set aside the dismissal of a suit;"

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 4860 / सवाई माधोपुर</u>** **मूर्ति मन्दिर श्री सालिगरामजी बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10– इस प्रकरण में विचारण न्यायालय में दिनांक 9–8–2002 को प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित थे, किन्तु वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–9 नियम–8 के तहत वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम–9 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता था जो कि वादी ने किया भी है लेकिन वह बाजदायरी का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। सीपीसी के आदेश–43 नियम–(1)(सी) के तहत इस प्रकरण में अपील की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है और राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 11– फलत निगरानी सारहीन व बलहीन हाने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरि शंकर गोयल**) **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2003 / 4860 / सवाई माधोपुर</u>** **मूर्ति मन्दिर श्री सालिगरामजी बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए